राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 15 FEB 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के क्रम में।**

प्रसंगः **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र क्रमांक एफ 10(9) ग्रावि/ नरेगा/सहायक कार्यक्रम अधि./2010/पार्ट–1 दिनांक 31.01.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि कतिपय जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है। जिलों से महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत आरोपित जुर्माना, आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई वसूली, श्रमिकों को 100 दिन से अधिक रोजगार देने पर कार्मिकों से की गई वसूली की स्थिति में कार्मिक को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावे या नहीं। क्या ऐसे कार्मिकों की सेवाओं को उक्त कारणों से असंतोषजनक माना जावे। यह भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि मातृत्व अवकाश की अवधि को अनुभव प्रमाण–पत्र में शामिल किया जावे या नहीं।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत जुर्माने के दण्ड को अनुशासनहीनता मानकर संविदा कार्मिकों को अनुभव के लाभ से वंचित नहीं किया जावे। यदि कार्मिक पर उक्त धारा के अन्तर्गत जुर्माना किसी गबन, वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, संविदा शर्तों के उल्लंघन या आपराधिक कृत्य के लिए किया गया है तो ऐसी स्थिति में संविदा कार्मिक को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे।
2. आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा यदि संविदा कार्मिक के विरूद्ध वसूली राजकीय राशि के गबन, वित्तीय अनियमितता या आपराधिक कृत्य के आधार पर निर्धारित की गई है तो ऐसे मामलों में कार्मिक को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे।
3. श्रमिकों को 100 दिन से अधिक रोजगार देने के कारण संविदा कार्मिक से राशि वसूल करने के कारण कार्मिक को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने से वंचित नहीं किया जावे।

4. मातृत्व अवकाश की अवधि को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करते समय कार्मिक की सेवा अवधि में शामिल किया जावे अर्थात् इस अवधि को अनुपस्थित अवधि में नहीं माना जावे।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जावे। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इस संबंध में नोडल अधिकारी की सहायता के लिए एक कमेटी का भी गठन कर सकते हैं। यह समिति संबंधित कार्मिक के सेवा संबंधी रिकॉर्ड, विकास अधिकारी से प्राप्त रिपार्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा तथ्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। नोडल अधिकारी उक्त समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय ले सकता है।

6. यह भी सुझाव दिया जाता है कि संविदा कार्मिक के कार्य को संतोषजनक नहीं मानने का निर्णय बहुत ही सूझ–बूझ एवं तथ्यों के आधार पर लिया जावे। यह निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिया जावे। यदि किसी कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं माना गया है तो इसके ठोस आधार होने चाहिए। अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने के स्पष्ट कारण अंकित किये जावें।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

2/13/13
अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस